AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट थाना फतेहाबाद जनपद आगरा। 17.09.2021

थाना फतेहाबाद पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित व हिस्ट्रीशीटर सहित गौकशी में संलिप्त कुल 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार...

दिनांक 03.09.2021 को थाना फतेहाबाद पुलिस को ग्राम टडावली के पास जंगल में गोवंश के अवशेष प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुयी। इस सम्बन्ध में थाना फतेहाबाद पर मु0अ0सं0 300/21 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 16.09.2021 को पुलिस टीम लखनऊ एक्सप्रैस वे फ्लाई ओवर के नीचे नगला लोहिया कट के पास चैकिंग व गश्त में व्यस्त थी, इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि कुछ दिन पूर्व गाँव टडावली के पास जंगलों में जो गौवंश काटे गये थे, आज उन काटने वालों में से कुछ अभियुक्तगण फिरोजाबाद से फतेहाबाद की तरफ कार से आ रहे हैं।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम बरीपुरा के पास चैकिंग करने लगी। कुछ समय बाद एक कार आती हुयी दिखायी दी, पुलिस टीम को देख कार सवार कार को मोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा तत्परता के साथ कार को चारों ओर से घेर कर उसमें सवार तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद छुरा नाजायज, 04 टुकड़े रस्सी के व 01 कार बरामद हुयी। बरामदगी के आधार पर थाना फतेहाबाद पर पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण :–

पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा अपना नाम 01–मोहम्मद परवेज, 02–फहीम उर्फ टेडा व 03–नेमीचन्द्र बताया गया। टीम द्वारा बरामद सामान के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि इस रस्सी से हम गौवंश को बांधने एवं छुरा गौवंश को काटने में प्रयोग करते हैं। सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि करीब 15 दिन पूर्व हम लोगों ने अपने अन्य साथियों मुबीन खान उर्फ बॉबी, मो0 नदीम, इरफान, सलमान व फिरोज के साथ नेमीचन्द्र के गाँव टडावली के पास जंगलों में गौवंश को काटकर मांस को अपने साथ ले गये थे एवं अवशेष को मौके पर ही छोड़कर चले गये थे।

विशेष :– अभियुक्त फहीम उर्फ टेड़ा थाना बागपत जनपद बागपत का हिस्ट्रीशीटर एचएस नं0 860ए है।

➢ गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

01. फहीम उर्फ टेडा पुत्र सलीम नि0 केतीपुरा थाना कोतवाली जनपद बागपत।
02. मो0 परवेज पुत्र मो0 इकराम नि0 केतीपुरा थाना कोतवाली जनपद बागपत।
03. नेमीचन्द्र पुत्र किशनलाल नि0 ग्राम टडावली थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।

➢ बरामदगी

01. 01 अदद छुरा नाजायज।
02. 04 टुकड़े रस्सी के।
03. 01 कार यूपी 17 आर 0251 ।

➢आपराधिक इतिहास :–

अभि0 फहीम उर्फ टेडा

01. मु0अ0सं0 300/21 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना फतेहाबाद आगरा।
02. मु0अ0सं0 314/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।
03. मु0अ0सं0 748/18 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना कोतवाली बागपत।
04. मु0अ0सं0 518/18 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कोतवाली जनपद बागपत।
05. मु0अ0सं0 613/18 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कोतवाली जनपद बागपत।
06. मु0अ0सं0 129/18 धारा 379 भादवि व 3/8 गौवध अधि0 कोतवाली बागपत।
07. मु0अ0सं0 866/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद बागपत।

अभि0 मो0 परवेज व नेमीचन्द्र

01. मु0अ0सं0 300/21 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।

पुलिस टीम :–

प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार मय टीम थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।